

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

1231

दिनांक 03/06/2022

प्रार्थीगण :-

1. अदरूफ
2. सोबदार
3. कादरखान
4. हबीबखान पि.अकलू
5. सुराब
6. सलीम पि. सकूर
7. मेहरा पत्नि हलीम
8. हेजमखान
9. मुकीमखान पि.सिलेमान
10. अकबर पुत्र अमरा
11. हलीमा पत्नि एलियास, जातियान मुसलमान, निवासी सुरपुरा (कोनरा) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. हुसैन
2. हसन पि.जुमा
3. बच्चू
4. अमीर
5. रेशम
6. सचू
7. अमर
8. रशीद पि.फजीया
9. मिटू पुत्र फता के का.मु. :- 9/1.रहीमा पत्नि मिटू
- 9/2. इब्राहीम
- 9/3. अहमद पि.मिटू
10. आलम
11. जानू पि.फता
12. राहमत पत्नि मुबीन
13. सलीम
14. सैफल पि.गुला
15. सिलेमान
16. हलीम
17. इलम पि.आरब
18. मरूबत पत्नि सिलेमान
19. हकीमा पत्नि सैफल
20. मीटू पत्नि सलीम
21. चांदबाई पत्नि माहवत
22. मोहम्मद पुत्र मुसा
23. दायम पुत्र अलीखान
24. हुरा पत्नि अलीखान
25. अमर पुत्र रहीम
26. अमीर पुत्र रहीम
27. आमीर पुत्र सरीफ, जातियान मुसलमान, निवासी सुरपुरा (कोनरा), तहसील चौहटन
28. तहसीलदार चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 41/2019

दिनांक : 03.06.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कोनरा के मौजा सुरपुरा के खेत खसरा सं. 258 रकबा 16.18 बीघा एवं खसरा सं. 268 रकबा 68.09 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/

1232 to 1235

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण अदरूफ वगैरा
3. विप्रार्थीगण हुसैन वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक

03/06/2022

(भाभीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन